

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

गोवर्धन सिंह पिता गिरवर सिंह राजपूत निवासी आरणी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

- 1- रतन सिंह पिता राम सिंह राजपूत निवासी आरणी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- गुड्डी कंवर पत्नी रतन सिंह राजपूत निवासी आरणी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

वादपत्र : स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा - 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 49 सन् 2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद स्वयं द्वारा वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 11 माह 02 सन् 2026 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा